# न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद संख्या–**15/2023**

प्रसंगः–**प्रकाश दास** – बनाम – **उमेश कुमार दास**

**आदेश**

03/12/2024

प्रस्तुत वाद उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक– 453/विधि दिनांक – 12/03/2024 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित वाद प्राप्त हुआ है। आवेदक श्री प्रकास दास, पिता स्व0 छोटू दास, ग्राम गोहाल, पोस्ट मकतपुर, थाना जयनगर, जिला–कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 (i)(b) के तहत् मौजा गोहाल, थाना नं0–157, खाता नं0–18, प्लॉट नं0–778, कुल रकवा –28 डी0 मधे बिक्री रकवा–07 डी0, भूमि बिक्री हेतु अनुमति का माँग किया गया है।

तत् आलोक में अचल अधिकारी, जयनगर का पत्रांक–167 दिनांक–11.03.2023 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा गोहाल, थाना नं0–157, खाता नं0–18, प्लॉट नं0–778, कुल रकवा –07 डी0, भूमि उक्त भूमि विक्रेता की रैयती भूमि है। भूमि बिक्री अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं। क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के हैं एवं एक ही जिला के निवासी हैं प्रतिवेदित किया गया है, साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति दिया जा सकता है, का मंतव्य दिया गया है।

विक्रेता एवं क्रेता अपने–अपने साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कागजात के अनुसार विक्रेता श्री प्रकास दास, पिता स्व0 छोटू दास, का अंचल अधिकारी, जयनगर, द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या – JHCSC /2019 / 46033 दिनांक–30.11.2019 के अनुसार जाति के चमार, है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या – JHRC /2019 / 953782 दिनांक–09.11.2019 के अनुसार श्री प्रकास दास, पिता स्व0 छोटू दास, ग्राम गोहाल, पोस्ट मकतपुर, थाना जयनगर, जिला–कोडरमा के निवासी है। क्रेता उमेश दास, पिता रामचन्द्र दास, जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHCSC/2022/56008 दिनांक–26.08.2022 जो अंचल

अधिकारी, जयनगर द्वारा निर्गत है के अनुसार क्रेता जाति के चमार है एवं आवासीय प्रमाण पत्र संख्या– JHLRCO/2022/251887 दिनांक–25.04.2022 के अनुसार क्रेता उमेश कुमार दास, पिता रामचन्द्र दास, ग्राम गोहाल, पोस्ट मकतपुर, थाना जयनगर जिला–कोडरमा के निवासी है। इस प्रकार क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जाति एवं एक ही, जिला के निवासी है। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति नही किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, जयनगर के प्रतिवेदन एवं मंतव्य के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (i)(b) 2nd provision के तहत् प्रश्नगत भूमि मौजा गोहाल, थाना नं0–157, खाता नं0–18, प्लॉट नं0–778, कुल रकवा –28 डी0 मधे बिक्री रकवा –07 डी0, भूमि उमेश कुमार दास, पिता रामचन्द्र दास, ग्राम गोहाल, पोस्ट मकतपुर, थाना जयनगर जिला–कोडरमा के नाम से बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश उपायुक्त, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक–2620/गो0 दिनांक–29.09.2011 के तहत् निर्गत आदेश से अच्छादित रहेगा। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, कोडरमा एवं अंचल अधिकारी, जयनगर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

13/12/24

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

13/12/24

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2024.12.14 14:36:59 +05:30
Location: 192.168.31.74